

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्दा दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठाधीश्वर अधिकारी :- स्वाति गुप्ता आर.एस.एम.
सहायक नाम संख्या :- 270/2023
1. भागीदार पुत्र हरीराम जाति कुम्हार निवासी मसीतावाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

— वादी

बनाम

1. हरीराम पुत्र रामरख जाति कुम्हार निवासी मसीतावाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. दर्शना देवी पुत्री हरीराम पत्नी राजकुमार जाति कुम्हार निवासी जोगीवाला तहसील नाथूसरी चौपटा जिला सिरसा।
3. विमला पुत्री हरीराम पत्नी कृष्ण कुमार जाति कुम्हार निवासी जोगीवाला तहसील नाथूसरी चौपटा जिला सिरसा।
4. मैना पुत्री हरीराम पत्नी देशराज जाति कुम्हार निवासी जैतपुर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
5. रेशमा देवी पुत्री हरीराम पत्नी भालसिंह जाति कुम्हार निवासी धोलू तहसील व जिला फतेहाबाद।

— प्रतिवादीगण



दावा अन्तर्गत धारा :-88 आर.टी.ए.घोषणा

निर्णय

दिनांक :- 20.2.2024

वादी की ओर से श्री विजय बैनीवाल अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री नरेन्द्रपाल वर्मा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 20.2.2024 को स्वाति आर.एस.एम. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है, कि वादी के प्रतिवादीगण अभिभाषक की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद पत्र में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 हरीराम के नाम से चक नम्बर 4 एम.एस.टी. के जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 50/49 में पत्थर नम्बर 195/333 (15) किला नम्बर 21/1/.227, 22/1/.228, 23/1/.228, 24/1/.228, 25/1/.228 हैक्टेयर कुल 1.1390 हैक्टेयर चक नम्बर 6 आर.डबल्यू वी के जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 68/57 में पत्थर नम्बर 203/339 (9) किला नम्बर 19/2/.177, 22/2/.227 हैक्टेयर कुल

उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

0.404 हेक्टर कमाण्ड आराजी का सादी को खातेदार कार्रवाही धारित किया जाकर
 चक्र नंबर 4 एम.एस.टी. के खाता संख्या 50/49 व चक्र नंबर 6 आर.डब्ल्यू.वी. के
 खाता संख्या 68/57 में से प्रतिवादी सं 1 हरीराम का नाम कलमजन किये जाने के
 आवेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आवेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित
 भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन
 किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा
 नहरी/बासनी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव
 नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकौन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 20.2.2024

को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई



(स्वाति गुप्ता)
 उपसचिव/अधीकारी एवम्
 सहायक कलक्टर
 टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
प्रदर्श के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
रूपये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामिल	---		
योग	---	योग	---